

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

:: शुद्धि पत्र ::

संख्या-7/स्था01-9-03/2010(खण्ड-II)सा0प्र0 ...../पटना-15, दिनांक.....

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-92089 दिनांक 04.12.2019 द्वारा संसूचति अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-7/स्था01-9-03/2010(खण्ड-II)सा0प्र0 16052 दिनांक 26.11.2019 की कंडिका-4 में अंकित "श्री राकेश मालवीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना" के स्थान पर "श्री राकेश मालवीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर", पढ़ा जाय।

अधिसूचना संख्या-16052 दिनांक 26.11.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह0/-

(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-9-03/2010(खण्ड-II)सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....  
प्रतिलिपि-ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) सी0डी0 के साथ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-9-03/2010(खण्ड-II)सा0प्र0...586.../पटना-15, दिनांक...14-1-20  
प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-92089 दिनांक 04.12.2019 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना एवं मुजफ्फरपुर/श्री राकेश मालवीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

13/1/2020

सरकार के अवर सचिव।